रजिस्ट्रेशन नं0 HP/13/SML-2007.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 30 अप्रैल, 2007/10 वैशाख, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 मार्च, 2007

संख्या एफ0 डी0 एस0-ए(3)-3/96.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में हिमाचल प्रदेश में निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, निजी सहायक, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस-ए(3)-3/96, तारीख 22-3-1997 द्वारा अधिसूचित तथा समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निजी सहायक, (वर्ग-III अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

4133-राजपत्र/2007-30-4-2007—1,427. (1141) मूल्य : एक रुपया ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

परमिन्द्र हीरा माथुर,
अति० मुख्य सचिव।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निजी सहायक वर्ग-II (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	निजी सहायक
2.	पदों की संख्या	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-II (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 रुपए।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	(क) लागू नहीं।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ?	आयु : लागू नहीं। शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसी सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10.	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति,/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा ।	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुक्त 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 11 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में चार वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैंट/ स्थानान्तरण द्वारा ।
	(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
	परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
	परन्तु उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी हो होगी :
	परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति

	किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे। स्पष्टीकरण.— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार के स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रान्नति से पूर्व सम्मरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी। परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना?	जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा है।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा।	लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं

16. आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा	लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धो को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. FD S-A* (3)-3/96 *dated* 20-3-2007 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 20*th March*, 2007

No. FDS-A (3)/96-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Personal Assistant, Class-II (Non-Gazetted), in the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department as per Annexure -"A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Personal Assistant, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Food & Supplies Department, Personal Assistant, (Class- III), (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified *vide* notification No. FDS-A (3)-3/96- dated 22nd March, 1997 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under Rule 2 (1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,

PARMINDER HIRA MATHUR,
Addl. Chief Secretary.

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PERSONAL ASSISTANT CLASS-II (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FOOD, AND CIVIL SUPPLIES, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Personal Assistant
2.	Number of posts	1 (One)
3.	Classification	Class-II (Non-Gazetted)
4.	Scale of Pay	Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640
5.	Whether selection post or non slelection post:	Non-selection
6.	Age for direct recruits	Not Applicable
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees	*Age* : Not applicable *Educational Qualifications* : Not applicable
9.	Period of probation, if any ?	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in the special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion failing which on secondment/transfer
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which/promotion transfer is to be made.	By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers having six years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, renderd if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers with 11 years regular service or regular combined with continuous *ad-hoc* service rendered, if any, in the grade combined as Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographer which shall include 04 years essential service as Sr. Scale Stenographers failing which on secondment/ transfer from amongst the incumbents of this

post working in the identical pay scale from other H. P. Government Department.

1. In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requiretments of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:

(1) The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh State Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the *ad hoc* appointment/promotion

		had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules: Provided that the *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered, as referred to above shall remain unchanged.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S. C is to be consulted in making recruitment.	As required under the law
14.	Essential requirement for a direct recruitment.	Not applicable
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Not applicable
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination	Not Applicable
18.	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित